



From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 26)

इन्द्रजीत बनाम जयपाल वगै०


तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र -212 संख्या 35 वर्ष 2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.12.2019	<p>आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। एक पक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 15.01.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 83/442/0.51 है० वाके ग्राम बालियाबास पर प्रार्थी के हिस्से तक आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत एवं निर्माण कार्य न करें।</p> <p>क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा(अलवर)

2/12/21 पत्रावली प्रसासन गाँवों के संग अभियान-2021
 कोर्ट में पंमायत मुख्यालय... 9/12/21
 पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित
 कोर्ट केम्व में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका।
 अतः पत्रावली पूर्व नियत कार्यवाही हेतु दिनांक
 7/2/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो।


 शिविर प्रसास
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा (अलवर)

07/02/22

पत्रावली पेश करने के बाद 21/12/21 को पेश की गई।

 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर) रा.

2- यह है कि पेशकदी दस्तावेजात व शपथ पत्र वादा/प्राथा का कस
 है एवं वाद वादी काबिले डिकी है।

